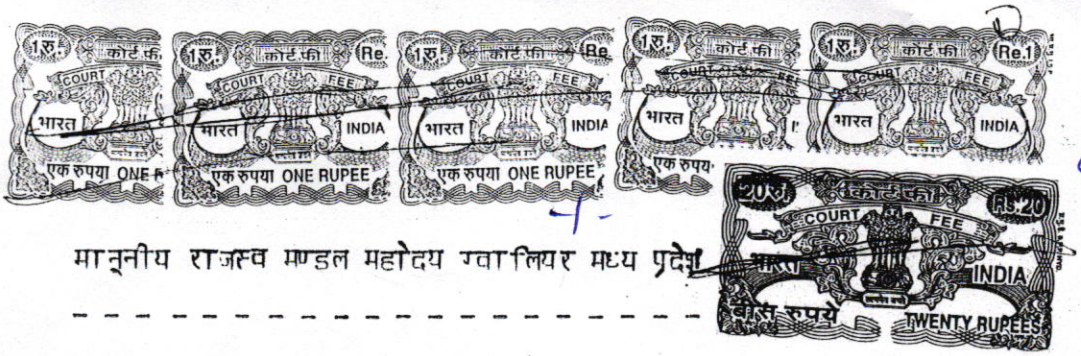

माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर मध्य प्रदेश

- -

निगरानी प्रकरण संख्या/- वर्ष 2016

निग-820-II-16

अशोक कुमार जैन आत्मज श्री हुकुमचन्द्र जैन निवासी टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0

------आवेदक/निग0

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ------अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 दिनांक 15-12-2015 जो कि प्रकरण क्रमांक 83/बी-121/2015-016 मे पारित किया गया जो कि न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 114/अ-68/2012-013 मे पारित आदेश दिनांक 11-12-2012 से उत्पन्न ।

महोदय,

आवेदक निगरानीकर्ता अपनी निगरानी मे सादर निम्न विनय करता है /-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इसप्रकार बताये गये कि ग्राम उत्तमपुरा मौजा की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 200 141 रकवा 291 हेक्टेयर की भूमि पर आवेदक निगराकार का अतिक्रमण कियाजाना बताते हुये उसके विरूद्ध अतिक्रमण के संबंध मे उसे अर्थदण्ड से अधिरोपित करते हुये बेदखल किये जाने की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 114/अ-68/2012-2013 पर की जाकर आवेदक निगराकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसमे सुनवाई तिथि 11-12-2012 को आदेशित कर आवेदक को 34000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है जिस आदेश के विरूद्ध आवेदक निगराकार ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय टीकमगढ़ के समक्ष अपील की कार्यवाही की जिसकी सुनवाई प्रकरण क्रमांक 121/अपील 2012-013 पर की गयी और दिनांक 17-9-2013 को उक्त अपील अदम पैरवी मे खारिज की गयी जिसअपील को पुन: नम्बर पर लिया जाकर उसकी सुनवाई किये जाने हेतु आवेदक निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी

R-820 IV/16 ([illegible])

27.9.16.

आवेदक को सुना गया
प्रपत्र पर विचार किया
पी०सी० के साथ नहीं थी
रहे अतः उत्तर दिया
आवेदक को अपने प्रश्न
से कोई रुचि नहीं है।
अतः प्रकरण रुचि के
अभाव में इसे निस्तारित
समाप्त किया जाता है।
पत्रावली दाखिल हो।